बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संख्या-5/वि०आ०2-106/2020(खण्ड-III)- 792 पटना, दिनांक:- 17/4/26

सितम्बर, 2019 के अंतिम सप्ताह में पटना शहर में हुए जल जमाव मामले में विभागीय आदेश सं0-373, दिनांक-14.02.2020 द्वारा श्री विजय कुमार सिंह, तत0 कनीय अभियंता(यांत्रिक), बुडको, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त कनीय अभियंता(यांत्रिक) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

02. श्री सिंह को निलंबित किये जाने के पश्चात उनके विरूद्ध अरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-734, दिनांक-13.05.2020 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सिंह के पत्रांक-शून्य, दिनांक-15.09.2020 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया।

03. कोविड-19 महामारी के दौरान विभाग में कनीय अभियंताओं की कमी को देखते हुए विभागीय आदेश सं0-622, दिनांक-01.06.2021 द्वारा श्री सिंह को निलंबन मुक्त किया गया।

04. अग्रेतर कार्रवाई के तहत श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-78, दिनांक-15.01.2021 एवं अन्य स्मार पत्रों के माध्यम से नगर विकास एवं आवास विभाग से मंतव्य की मांग की गयी, जिसके आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-748, दिनांक-27.02.2026 द्वारा वांछित मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त मंतव्य में श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य बताते हुए उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

05. नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विषयांकित मामले में श्री सिंह के स्तर से बरती गयी लापरवाही एवं उदासीनता हेतु बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया है। एतदर्थ उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रामचन्द्र पाण्डेय, मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं श्री नमन कुमार, सहायक अभियंता(असैनिक), कार्यपालक अभियंता(मो0/मू0) कोषांग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

06. आरोपित श्री सिंह आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

07. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति एवं आरोप पत्र सभी अनुलग्नक सहित श्री विजय कुमार सिंह, तत0 कनीय अभियंता(यांत्रिक), बुडको, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त कनीय अभियंता(यांत्रिक)/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री रामचन्द्र पाण्डेय, मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री नमन कुमार, सहायक अभियंता(असैनिक), कार्यपालक अभियंता(मो0/मू0) कोषांग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना को दी जाय।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)

ज्ञापांक-5/वि०आ०2-106/2020(खण्ड-III)- 792 पटना, दिनांक- 17/4/26

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक सहित आरोप पत्र की प्रति के साथ श्री विजय कुमार सिंह, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता(यांत्रिक), पत्राचार पता-301, कमला अपार्टमेन्ट, विश्वेश्वरैया नगर, बेली रोड, पोस्ट-दानापुर कैन्ट, पटना-801503/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री रामचन्द्र पाण्डेय, मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री नमन कुमार, सहायक अभियंता(असैनिक), कार्यपालक अभियंता(मो0/मू0) कोषांग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)

ज्ञापांक-5/वि०आ०2-106/2020(खण्ड-III)- 792 पटना, दिनांक- 17/4/26

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02/आई.टी.मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख--सह-विशेष सचिव(मु0)